



2026:AHC-LKO:21861-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या: 73/2025

30प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

.....प्रार्थी

बनाम्

राम लखन

.....विपक्षी

प्रार्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ताविपक्षी के अधिवक्ता : निजाम अहमद

न्यायालय सं0 - 10

माननीय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार,

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी,

सी0एम0 प्रार्थना पत्र सं0 1/2025 पर आदेश: विलंब माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र

1. राज्य/प्रार्थी की तरफ़ से अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री निजाम अहमद को सुना गया।
2. यह विलंब माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र है।
3. कार्यालय ने अपील दाखिल करने में 188 दिन का विलंब बताया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि अपील दाखिल करने में विलम्ब प्रक्रियात्मक है, जानबूझकर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपील दाखिल करने के लिए ज़रूरी प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से विलम्ब हुई है। इसलिए, वह अपील दाखिल करने में हुई विलम्ब को माफ करने का निवेदन करते हैं।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बातों का कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि अपील दाखिल करने में 188 दिनों की विलम्ब को माफ करने के लिए कोई सही वजह नहीं है, काफी वजह तो दूर की बात है। उन्होंने आगे कहा कि दि० 17.12.2024 से दि० 17.05.2025 तक के समय के लिए कोई वजह नहीं है, यानी लगभग पांच महीने। इस तरह, यह कहा गया है कि प्रार्थना पत्र गलत है और इसे खारिज किया जा सकता है और इसलिए, अपील की इजाज़त भी खारिज की जा सकती है।
6. पक्षकारों के अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद, हमने विलम्ब माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ पत्र और अपील की इजाज़त के लिए प्रार्थना पत्र को देखा है, जो दि० 27.08.2024 के फैसले और आदेश के खिलाफ फाइल किया गया है।
7. शपथ पत्र को देखने से पता चलता है कि दि० 27.08.2024 के फैसले और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए, दि० 01.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और उसे दि० 14.10.2024 को तैयार करके दिया गया था और उसी दिन, संबंधित जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद, अपील दाखिल करने के लिए प्रस्ताव दि० 26.11.2024 को राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद, दि० 10.12.2024 को सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में प्राप्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया, जिसमें परिसीमन का समय दि० 27.11.2024 तक था। इसके बाद, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने विलम्ब के लिए वजह बताने के लिए दि० 17.12.2024 को संबंधित जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा। इसके बाद, अतिरिक्त जिलाधिकारी, अंबेडकर नगर ने गवाह यानी नायब तहसीलदार, जिला अंबेडकर नगर को विलम्ब माफ करने की अर्जी के समर्थन में शपथ पत्र फाइल करने का निर्देश दिया। इसके बाद, उन्होंने दि० 19.05.2025 को सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में संपर्क किया और उसके बाद अपील और शपथ पत्र तैयार किया गया और दि० 30.05.2025 को शपथ पत्र पर शपथ ली गई और न्यायालय में दाखिल किया गया।

8. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, दि० 17.12.2024 से दि० 17.05.2025 तक, यानी लगभग पाँच महीने तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने शपथ पत्र दाखिल किया है, उसने इसे बिना सही स्पष्टीकरण के और लापरवाही से दाखिल किया है। उसने उस समय के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के शपथ पत्र दाखिल किया।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (2012) 5 एस०सी०सी० 157** के मामले में यह अवधारित किया है कि किसी मामले के तथ्यों में "सफिशिएंट कॉज" शब्द का क्या अर्थ होगा, यह काफी हद तक स्पष्टीकरण के वास्तविक प्रकृति पर निर्भर करेगा और अगर प्रार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है या वह अपने वाद को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाह है, तो विलम्ब को माफ न करना सही होगा। आगे यह भी कहा गया है कि राज्य से जुड़े मामलों में, न्यायालय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि फैसला लेने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, लेकिन पूरी तरह से आलस या पूरी तरह से लापरवाही के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है और विलम्ब को स्वाभाविक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है। संबंधित अनुच्छेद सं0 24 और 25 नीचे दिए गए हैं:-

"24. किसी मामले के तथ्य में "सफीशीयन्ट कौज़" शब्द का क्या मतलब होगा, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करेगा कि व्याख्या कितना सही है। अगर न्यायालय को लगता है कि प्रार्थी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और विलम्ब के लिए बताई गई वजह में सच्चाई है, तो वह विलम्ब को माफ़ कर सकता है। दूसरी तरफ, अगर प्रार्थी की दी गई स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाई जाती है या वह अपने वाद को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाह है, तो विलम्ब को माफ़ न करना अपने विवेक का सही इस्तेमाल होगा।

25. राज्य और उसकी अभिकरण/इंस्ट्रुमेंटैलिटी से जुड़े मामलों में, न्यायालय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, लेकिन राज्य और/या उसकी अभिकरण /इंस्ट्रुमेंटैलिटी के अधिकारियों की तरफ से पूरी तरह से आलस या पूरी तरह से लापरवाही को कोई खास अहमियत नहीं दी जा सकती है और विलम्ब को माफ़ करने के लिए उनके द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को स्वाभाविक रूप से मंजूरी नहीं दी जा सकती है। यह दलील स्वीकार करते हुए कि समय-सीमा के कारण वाद का बाधित होने के आधार पर मामले को खारिज करने से जनहित को नुकसान होगा।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिव राज सिंह (मृत) द्वारा एल0आर0 व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य; (2023) 10 एस0सी0सी0 531 के केस में यह अवधारित किया है कि न्यायालय को 'एक्सप्लेनेशन' (स्पष्टीकरण) और 'एक्सक्यूज' (सफाई) में फ़र्क करना चाहिए। 'एक्सप्लेनेशन' का मकसद किसी को सभी तथ्य बताना और किसी चीज़ का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारण बताना होता है और यह किसी खास घटना के हालात को साफ़ करने में मदद करता है और व्यक्ति को यह बताने की इजाज़त देता है कि जो कुछ हुआ है, वह उसकी गलती नहीं है, अगर वह सच में उसकी गलती नहीं है। हालाँकि, 'एक्सप्लेनेशन' को 'एक्सक्यूज़' से अलग करने में सावधानी बरतनी चाहिए और 'एक्सक्यूज़' अक्सर किसी व्यक्ति द्वारा हमले के समय ज़िम्मेदारी और नतीजों से इनकार करने के लिए दिया जाता है। यह एक तरह की रक्षात्मक कार्रवाई है।

11. ऊपर दी गई बातों को देखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि राज्य लगभग पाँच महीने के समय के लिए कोई भी स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहा है, विलम्ब माफ़ करने के लिए काफ़ी स्पष्टीकरण तो दूर की बात है। इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि विलम्ब माफ़ करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकता है।
12. इसलिए खारिज किया जाता है।
13. इसलिए, अपील की इजाज़त और अपील भी **खारिज** की जाती है।

26 मार्च, 2026

सौरभ

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी) (न्यायमूर्ति रजनीश कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।